न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—19 / 2023 (2023 / 199) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—भैरूलाल पुत्र प्यारालाल सालवी निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसंमद

प्रार्थी

बनाम

1—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित

1. स्वयं —

निर्णय दिनांक—12.07.2023

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम कोट पटवार हल्का कोट तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 32, 33, 34, 38 कुल किता 4 कुल रकबा 1.30 है0 व आराजी संख्या 37 रकबा 0.65 है0 भूमि खाता संख्या क्रमशः 497 व 551 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थी सदेव से अपनी आराजियात जिनका वर्णन प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में किया गया में आवागमन पैदल संज, बैल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर पैदल आदि से आराजी संख्या 18 रकबा 0.35 है0 गै.मु. रास्ता से होते हुए बिलानाम आराजी संख्या 35 रकबा 3.83 है0 विपक्षी की आराजियात में होकर करता रहा है वर्तमान में भी इन्ही विपक्षी की नवीन आराजी संख्या 35 से होकर करता है लेकिन रास्ता राजस्व रकार्ड में दर्ज नही है जिससे विवश होकर प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ा है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजियात में आवागमन करने का एकमात्र रास्ता विपक्षी की आराजी संख्या 35 में उपलब्ध है। प्रार्थी रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमि की डीएलसी दर से भुगतान करने को तैयार है। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी की नवीन आराजी संख्या 35 रकबा 3.83 है0 मे से 30 फीट चौड़ाई में रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराये जाने हेतु तहसीलदार रायपुर को आदेशित फरमाया जावे एवं नियमानुसार रास्ते में समायोजित होने वाले रकबा की डीएलसी दर राशि विपक्षी को दिलाई जाने का आदेश फरमावें। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में गै.मु. रास्ता का अंकन कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.07.31 13:37:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में तहसीलदार राय[illegible] तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकन किया कि ग्राम कोट की बि[illegible]35 रकबा 3.83 है0 [illegible] गै.मु. मंगरी मे से 30 फीट चौड़ाई में रास्ता चाहा गया है। मौके [illegible] चाहे गये रास्ता भूमि [illegible] के आवागमन के लिये उपयुक्त है तथा मौके भूमि पड़त होकर झाड़िया वगैरह है, नदी, नाला, तालाब, पेटा में नही आती है। उक्त रास्ते की लम्बाई 502 फभ्ट व चौड़ाअ्र 30 फीट होने से

रकबा 0.14 है0 भूमि रास्ता हेतु प्रस्तावित की गई जिसे संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। वर्तमान में प्रस्तावित रास्ता भूमि पर कोई रास्ता नही बना होकर बन्द है तथा पड़त पड़ी हुई है। ग्राम कोट की डीएलसी दर 217254/–रूपये प्रति है0 होने से रकबा 0.14 है0 की डीएलसी दर से राशि 30416/–रूपये जिसे दुगुना करने पर 60832/–रूपये बनते है।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन करने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है प्रार्थी वर्तमान में इसी रास्ते से आवागमन कर रहे है। प्रार्थी रास्ते के उपयोग हेतु ली जाने वाली भूमि की नियमानुसार भूमि कीमत देने को भी तैयार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए की मूल मंशा यही है जहां प्रार्थी कई वर्षो से आवागमन कर रहे है और अन्य कोई विकल्प नही हो तो ऐसे रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा सकते है। प्रार्थी की खातेदारी काफी पुरानी है जिससे वर्षो से इसी जगह से होकर आवागमन करने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र का विपक्षी की ओर से भी कोई आपत्ति नही की। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कोट तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 32, 33, 34, 38 कुल किता 4 कुल रकबा 1.30 है0 व आराजी संख्या 37 रकबा 0.65 है0 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 35 रकबा 3.83 है0 मे से रकबा 0.14 है0 भूमि (यानि 1400 वर्गमीटर भूमि) जिसकी डीएलसी दर 217254/–रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 30416/–रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 60832/–रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका विपक्षी खातेदार को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
सहायक रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.07.31 13:37:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—19/2023 (2023/199) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—भैरूलाल पुत्र प्यारालाल सालवी निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद — प्रार्थी

बनाम

1—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा — विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट</u>

प्रेषित :—<u>तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्</u>

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कोट तहसील रायपुर में स्थित [illegible] आराजी संख्या 32, 33, 34, 38 कुल किता 4 कुल रकबा 1.30 है0 व[illegible] रकबा 0.65 है0 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 35 रकबा 3.[illegible] रकबा 0.14 है0 भूमि (यानि 1400 वर्गमीटर भूमि) जिसकी डीएलसी दर 217[illegible]4/—[illegible] प्रति हैक्टयर है जिससे 30416/—रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने [illegible] 60832/—रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका विपक्षी खातेदार को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 12.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(नेहा छीपा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.07.31 13:37:44 IST
Reason: SelfAttested